(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि शिक्षा आयोग (1964–66) ने देश की शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। उन्हें राज्य सरकारों को विचार और क्रियान्वित करने के लिए भेज दिया गया है।

अध्यापकों के लिये पेंशन/भविष्य निधि योजना

3335. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि एवं उपदान सम्बन्धी योजनाओं को 1 अप्रैल, 1964 से क्रियान्वित करने की जो सिफारिशें की थीं, उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पेंशन, सामान्य भविष्य निधि तथा उपदान से विश्वविद्यालय अध्यापकों को कितना लाभ होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारत सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहली अप्रैल, 1964 से केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा बंगलौर के भारतीय विज्ञान संस्थान में (i) पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि व उपदान सहित और (ii) अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि एवं उपदान सम्बन्धी योजनाओं को लागू कर दिया है। कर्मचारियों को दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता है।

इन योजनाओं से राज्य विश्वविद्यालयों और 'समझे जाने वाले' विश्वविद्यालयों को भी सूचित कर दिया गया है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ इन योजनाओं को लागू करने के प्रश्न को सम्बन्धित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों को हाथ में लेने के लिए कहा है।

(ख) सामान्य भविष्य निधि व पेंशन उपदान सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कर्मचारी, कम से कम दस वर्षों की योग्य-सेवाओं के पश्चात्, कुछ शर्तों के साथ प्रत्येक छमाही अवधि की पूर्ण योग्य-सेवाओं के लिए औसत उपलब्धियों का 1/160 की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा। इसके अलावा, वह कर्मचारी उसी वेतनक्रम पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है—ग्रेच्युटी (उपदान), परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन के लिए भी हकदार होगा।

नई अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी, जो पुरानी योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की ग्रेच्युटी (उपदान) का हकदार नहीं था, वह भी, अधिकाधिक उपलब्धियों से पन्द्रह गुणा अथवा 24000 रुपए की शर्तों के साथ, जो भी कम हो, प्रत्येक छमाई अवधि की पूर्ण योग्य सेवाओं के लिए उपलब्धियों के 1/2 की दर से ग्रेच्यूटी पाने का हकदार होगा। निधियों के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता पुरानी योजना के अन्तर्गत वेतन के $8\frac{1}{3}$ % के विरुद्ध, कर्मचारी के वेतन के 8% तक सीमित कर दी गयी है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

3336. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, हड़ताल करने और परीक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति को देखते हुए शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को बदलने का विचार है; और

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थाओं से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इनके नाम क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा की वर्तमान पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के संबंध में शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यार्थियों आदि में अनुशासनहीनता के प्रश्न का भी निपटान किया जाएगा। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारें शिक्षा आयोग की सिफारिशों से मोटे तौर पर सहमत हैं।

हैलीकोप्टर सेवा

3337. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किये गये इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि सांताक्रुज हवाई अड्डे के अक्षिण बम्बई के विभिन्न स्थानों के लिय हैलीकोप्टर सेवा चालू की जाय;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस सेवा का संचालन किसी गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा किया जायेगा अथवा सरकारी क्षेत्र द्वारा; और

(ग) प्रस्तावित हैलीकोप्टर सेवा के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

3338. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत हैं; और

(ख) क्या उच्च न्यायालय में मामलों को शीघ्र निपटाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 31 दिसम्बर, 1967 को 8,085।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमा को रु० 25,000 की रकम से अधिक बढ़ाया जा सके। इस प्रस्ताव के कार्यान्वित होने पर लम्बन कम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ न्यायालय के लिये अतिरिक्त न्यायाधीश का एक और पद हाल में मंजूर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की संख्या 10 स्थायी न्यायाधीश तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीश हो गई है। इस पद के तथा मौजूदा रिक्तियों के भरे जाने पर न्यायालय मामलों को शीघ्र निपटाने की स्थिति में हो जायगा।

ALLEGATIONS AGAINST EX-CHIEF MINISTER, PUNJAB

3339. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum containing some allegations against Shri Gurmukh Singh Musafir, ex-Chief Minister of Punjab, was received by Government;

(b) if so, the allegations made therein; and

(c) the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The allegations contained in the memorandum were mainly about misappropriation of party funds and appointment of relatives to Government posts. Copies of the Memorandum had been endorsed to the party hierarchy and it was for them to consider the matter relating to alleged misappropriation of party funds. As for the other allegations, from the preliminary check that was made, there did not appear any ground for holding an enquiry.

साम्प्रदायिक सूचियां

3340. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के बहुत से विभाग नियुक्ति करते समय माडल साम्प्रदायिक सूचियां नहीं तैयार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और